इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024—आषाढ़ 28, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2024

क्र. यूडीएच—3—0042—2024—अठारह—5.— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप संशोधन जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किन्हीं व्यक्ति, से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 19–(क) के परन्तुक पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि, प्राधिकरण की संचयी निधि एवं अचल संपित्तयों के मूल्य के आधार पर समस्त देनदारियां, प्रचलित एवं प्रस्तावित नगर विकास स्कीम्स् एवं स्थापना के व्यय आदी को सुरक्षित रखते हुये अतिशेष राशि में से नगर विकास योजना से भिन्न अधोसंरचनात्मक कार्य राज्य शासन की पूर्व अनुमति से प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लिए जा सकेंगे.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2024

क्र. यूडीएच–03–0042–2024–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक यूडीएच--03--0042--2024--अठारह–5, दिनांक 11 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 11th July 2024

No. UDH-3-0042-2024-XVIII-5.– In following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with Sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, Which may be received from any persons with respect to the said draft of amendment on or before the expiary of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,–

1. After the provise to rule 19-(a), the following proviso shall be inserted, namely :-

"provided further that, after keeping aside all the liabilities, expenditure on ongoing and proposed schemes, establishment expenditure etc. on the basis of accumulated fund and the value of immovable assets the authority may time to time take up infrastructure works other than Town Development Schemes, with the available surplus fund, with the prior permission of the state Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्रमांक 867/1976096/2024/ए-16, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) की धारा 33-क (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती) विनियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-**

(एक) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2024 है।

(दो) अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **संक्षिप्त नाम का संशोधन.-**

मूल विनियमों में, खण्ड विनियम (भाग-एक) में, विनियम 1 "संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ" में उप-विनियम 1 में दिए गए संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती) विनियम, 2021" के स्थान पर संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती) विनियम, 2021" स्थापित किए जाएं।

3. **अनुसूची-एक का संशोधन.-**

मूल विनियमों की अनुसूची- एक में अनुक्रमांक 2 के सम्मुख कॉलम (2) से (5) में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर नियमानुसार प्रविष्टियां स्थापित की जाएं.-

"अनुसूची-एक"

(विनियम 3(1) देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतनमान) (वेतनमान प्रावधान) संशोधित प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	लेखाधिकारी	1	द्वितीय-श्रेणी (वर्ग-दो)	1. शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत प्रतिनियुक्ति से या मण्डल द्वारा संविदा से भरा जाएगा एवं संविदा लेखाधिकारी के वेतनमान/वेतन भुगतान के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। 2. संविदा पर नियुक्ति की स्थिति में मण्डल कोष एवं लेखा, स्थानीय निधि संपरीक्षा से लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी या मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभाग, निगम, मण्डल से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी, जिन्हें लेखाधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, को लेखाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्त किया जा सकेगा।"

4. **अनुसूची– दो का संशोधन.–**
मूल विनियमों की अनुसूची– दो में अनुक्रमांक 2 के सम्मुख कॉलम (2) से (6) में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टिया स्थापित की जाएं–

"अनुसूची–दो"
(विनियम 4(2) देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत संशोधित प्रावधान	
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	लेखाधिकारी	1	द्वितीय–श्रेणी (वर्ग–दो)	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से या मण्डल द्वारा संविदा से भरा जाएगा।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.